

न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 82 / 2019

दर्ज दिनांक:—04.07.2019

हीरालाल पुत्र प्रभु जाति जाटव निवासी ग्राम धौरमुई तह. व जिला भरतपुर।

.....वादी

**बनाम**

1. लाखन सिंह पुत्र पतरे
2. ब्रजमोहन पुत्र पतरे
3. ब्रजेन्द्र सिंह पुत्र पतरे
4. भोला पुत्र लाखन सिंह

.....प्रतिवादीगण

**निर्णय**

दिनांक:—29.11.2019

आज यह पत्रावली वादी के प्रार्थना पत्र पर पेश हुई। वादी ने प्रा0पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उभयपक्ष के मध्य राजीनामा हो जाने से दावे का कोई औचित्य नहीं रहा है। दावा विझाँ किए जाने पर खारिज किया जावे। वादी की पहचान उनके वकील द्वारा की गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया, वादी को सुना, वादी अपने दावा को चलाना नहीं चाहता है। अतः दावा वादी विझाँ किए जाने पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील दा0द0 हो।

(SANJAY GOYAL)

सहायक कलक्टर, भरतपुर

Web Copy - Not Official